



UPBG040104212026

न्यायालय Civil Judge (Jr. Div.) - FTC, Baghpat

पीठासीन अधिकारी- (Sri Rajneesh Kumar II) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP03810

Bail Application-2652/2026

सरकार बनाम आबिद आदि

मु०अ०सं०-77/2023

धारा-498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना-महिला थाना बागपत, जिला बागपत।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक-03.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण आबिद पुत्र असगर व शकीला उर्फ शकीना पत्नी असगर की ओर से मु०अ०सं०-77/2023 धारा-498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-महिला थाना बागपत, जिला बागपत। में द्वारा अधिवक्ता प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण का कथन है कि उन्हें उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। वे निर्दोष है। अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की है। अतः जमानत दे दी जाये।

सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण पर धारा-498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4 दहेज प्रति० अधि० का अभियोग है। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। मामला वैवाहिक संबंधों में विवाद से जनित प्रतीत होता है। आरोपपत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। पत्रावली पर अब कोई विवेचना शेष नहीं है। अभियुक्तगण पीड़िता के पति व सास है। वादिनी द्वारा शपथपत्र दाखिल करते हुए कथन किया गया है वह पिछले चार वर्ष से अपनी ससुराल में रह रही है तथा उसका विपक्षीगण से समझौता हो गया है। अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तैयार है। अतः मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत दिये बिना समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण आबिद पुत्र असगर व शकीला उर्फ शकीना पत्नी असगर की ओर से मु०अ०सं०-77/2023 धारा-498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-महिला थाना बागपत, जिला बागपत में प्रत्येक की ओर से अंकन 25,000/- रुपये का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि के एक-एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक-03.08.2026

(रजनीश कुमार-II)

सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय
जनपद बागपत